



दिल्ली विधान सभा

Delhi Legislative Assembly

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि आबंटन
से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु गठित
सदन की समिति

HOUSE COMMITTEE
TO CONSIDER THE ISSUES RELATING TO ALLOTMENT OF
LAND UNDER THE 20 POINT PROGRAMME

दूसरा प्रतिवेदन
SECOND REPORT

दिनांक 28 जुलाई, 2003 को पस्तुत
PRESENTED ON 28TH JULY, 2003

समिति का गठन

Composition of the Committee

- | | |
|---|--------------------|
| 1. श्री मुकेश शर्मा
Shri Mukesh Sharma | सभापति
Chairman |
| 2. श्री नन्द किशोर गर्ग
Shri Nand Kishore Garg | सदस्य
Member |
| 3. श्री साहब सिंह चौहान
Shri Sahab Singh Chauhan | सदस्य
Member |
| 4. श्री चरण सिंह कण्डेरा
Shri Charan Singh Kandera | सदस्य
Member |
| 5. श्री सुरेन्द्र कुमार
Shri Surender Kumar | सदस्य
Member |
| 6. श्री रूप चन्द
Shri Roop Chand | सदस्य
Member |
| 7. श्री राम सिंह नेताजी
Shri Ram Singh Netaji • | सदस्य
Member |

सचिवालय

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. श्री सिद्धार्थ राव
Shri Siddharath Rao | सचिव
Secretary |
| 2. श्री सी० वेलमुरुगन
Shri C. Velmurugan | अवर सचिव
Under Secretary |

प्रस्तावना


मैं, मुकेश शर्मा, सभापति, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आबंटन से संबंधित मूद्दों पर विचार करने हेतु सदन की समिति, द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समिति ने मामले पर गहन विचार-विमर्श किया और विभागीय प्रतिनिधियों को भी बैठकों में अपने विचार व्यक्त करने का पूरा मौका दिया। समिति का प्रतिवेदन इसकी दिनांक 24 जुलाई, 2003 को सम्पन्न बैठक में स्वीकार किया गया।

समिति का विचार-विमर्श अभी अपूर्ण है और पूर्व की सिफारिशों के कार्यान्वयन और शर्तों में निर्धारित अन्य विषयों पर विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श जारी है।

समिति दिल्ली के मण्डलायुक्त, श्री जी.एस. पटनायक एवं दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारियों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये उनकी प्रशंसा करती है। समिति की बैठकों के दौरान तथा इसका प्रतिवेदन तैयार करने में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सहयोग की भी समिति प्रशंसा करती है।

दिल्ली,
दिनांक 25 जुलाई, 2003


मुकेश शर्मा, विधायक
सभापति

प्रतिवेदन

बीस सूत्रीय कार्यक्रम और अन्य संबंधित मामलों के अन्तर्गत आबंटित भूमि से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु सात सदस्यों की सदन की समिति के गठन हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन ने दिनांक 18 जुलाई, 2002 को सम्पन्न अपनी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान समिति का गठन किया और समिति के लिये निम्नलिखित नियम व शर्तें निर्धारित कीं: -

मामलों की वास्तविकता का पता लगाने एवं सुझाव देने के लिये: -

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित की गई आवासीय/कृषि भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना एवं भूमि अधिग्रहण एवं चकबन्दी के दौरान उनके ऐसे अधिकारों की रक्षा करना
2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत ग्राम सभा में भूमि निहित करने संबंधी
3. परिवारों में बढ़ोतरी हो जाने के कारण गांव के लाल डोरा/आबादी का विस्तार करने की दृष्टि से दिल्ली में भूमिधरों की चकबन्दी करना
4. कोई अन्य मामले जो उपर्युक्त दर्शाये गये मामलों पर विचार विमर्श के दौरान समिति की जानकारी में आये।

समिति ने अपना प्राथमिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया था जिसे सदन ने 27 नवम्बर, 2002 को स्वीकार किया। समिति की निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें थीं: -

1. कृषि योग्य भूमि के आबंटियों के उन सभी आबंटनों को, जिनके पास वास्तविक कब्जा है, को संक्षिप्त परिवर्तन और राजस्व रिकार्डों में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाये।
2. आवासीय प्लॉटों के उन सभी आबंटियों को, जिनके पास वास्तविक कब्जा है और वे अपने दावे एक सदस्यीय समिति के सर्वेक्षण के दौरान मूल आबंटन आदेश/पट्टा/एल. आर.37 से प्रमाणित कर चुके हैं, के आबंटनों को राजस्व रिकार्डों में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाये।
3. समिति यह भी सिफारिश करती है कि जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है अथवा अपेक्षित है, वहां आबंटियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाये, चाहे उनकी प्रविष्टि राजस्व रिकार्डों में दर्ज हो या न हो।
4. तत्कालीन उपराज्यपाल श्री जगमोहन के दिनांक 22/1/1983 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाये। ऐसी परिस्थिति में जहां अधिग्रहण पहले ही हो चुका है या जहां अधिग्रहण करना अपरिहार्य है, सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिम्मेवार एजेंसी वैकल्पिक कृषि भूमि/आवासीय प्लॉट प्रदान करें या अधिग्रहित भूमि के बदले आबंटियों को पर्याप्त आर्थिक क्षतिपूर्ति करे।
5. विद्युत वितरण कम्पनियों को उन कालोनियों में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रता से पूरा करने को कहा जाये जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।
6. सभी मूल आबंटियों को विद्युतीकरण हेतु विकास शुल्क के भुगतान से मुक्त किया जाये।

7. दिल्ली जल बोर्ड उन कालोनियों के सभी निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करने का कार्य शीघ्रता से करे जहां 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय उद्देश्यों से प्लाट आबंटित किये गये थे और पानी का कनेक्शन प्रदान करने हेतु असली आबंटियों पर विकास प्रभार नहीं लगाया जाये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से समय-समय पर प्रगति का निरीक्षण करें।
8. क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित भूमि/प्लाट लाल डोरा का हिस्सा माना जाता है, इसलिये दिल्ली नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ समस्त नागरिक सुविधाएं जो लाल डोरा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं, इनमें भी उपलब्ध कराई जाये।

समिति को संबंधित विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने तक, जो कि एक वर्ष की अवधि में पूरा हो जाना चाहिये, उपर्युक्त कार्यों के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति पर मासिक कार्यवाहो टिप्पणी भेजी जानी थी।

1. समिति की प्राथमिक रिपोर्ट की सिफारिशों की स्थिति:

समिति ने 15 जुलाई, 2003 को सम्पन्न अपनी बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

राजस्व विभाग : राजस्व विभाग से संबंधित सिफारिशों के संबंध में मण्डलायुक्त ने समिति को सूचित किया कि उन्हें सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है। समिति का मत था कि सरकार इन सिफारिशों पर तुरन्त निर्णय लें और उन्हें जल्दी ही क्रियान्वित करें।

ऊर्जा विभाग : प्रधान सचिव ऊर्जा ने समिति को सूचित किया कि विभाग ने वितरण कम्पनियों से कहा है कि वे वास्तविक आबंटियों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करें और विकास आयुक्त अथवा समाज कल्याण विभाग से विकास शुल्क की वसूली करें। प्रधान सचिव ऊर्जा का मत था कि जो एजेन्सी कालोनी बसाने के लिये जिम्मेदार है, वही व्यय सहने की भी जिम्मेदार है। तथापि, मण्डलायुक्त ने कहा कि पूर्व में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने योजना मद के अन्तर्गत व्यय वहन किया था।

समिति ने कहा कि मामले को मुख्य सचिव के ध्यान में लाया जाये और शीघ्र ही निर्णय लिया जाये। पुनः यह बात दोहराई गई कि किसी भी हालत में वास्तविक आबंटियों से विद्युतीकरण के लिये विकास शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये।

दिल्ली जल बोर्ड : मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि चूंकि यह योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के अधीन आती है, इसलिये वास्तविक आबंटियों से पानी के कनेक्शन के लिये विकास शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एक विशेष आपत्ति का जवाब देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि जब तक इस संबंध में सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता रहेगा, तब तक विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।

समिति का मत था कि घनराशि की अनुलब्धता भविष्य में इस नीति के बन्द होने का कारण नहीं होना चाहिये। दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों में बिना कोई शुल्क लिये सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और दिल्ली जल बोर्ड भी वही नीति अपनाये और इन क्षेत्रों में पानी एवं सीवर के कनेक्शनों के लिये कोई शुल्क न लें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन कालोनियों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जारी प्रक्रिया के बारे में वास्तविक स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विभाग 41 गांवों के अतिरिक्त, जिनमें पहले ही कनेक्शन उपलब्ध है, गांव कोंडली, चिल्ला, खजूरी खास एवं करावल नगर में पानी की आपूर्ति उपलब्ध करा रहा है।

जैसाकि पहले बताया गया, 16 गांवों के कार्यों के अतिरिक्त, जहां प्रक्रिया जारी है, बोर्ड ने पांच गांवों - सुलतानपुर डबास, निठारी, बांकनेर बीसीडी ब्लाक, घुम्नहेड़ा और खरखरी नाहर में कार्य पूरा कर लिया है।

अभी बताये गये 12 गांवों में से सात गांवों के लिये कार्य स्वीकृति/अनुमानित पूरा होने की स्थिति में है। बोर्ड द्वारा पूर्व की वास्तविक स्थिति 13.8.2002 को प्रस्तुत किये हुए दस महीने से अधिक समय हो गया है, समिति ने इन सात गांवों में प्रस्तावों के अभी तक स्वीकृत न होने पर चिन्ता व्यक्त की।

समिति ने नक्शों की अनुपलब्धता पर भी चिन्ता व्यक्त की जिसके कारण कुछ गांवों में कार्य प्रभावित हो रहा है। आश्चर्य है कि बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2002 में बताया था कि पांच गांवों के नक्शे उपलब्ध नहीं है - बकोली, टीकरी खुर्द, खेड़ा कलां, भोरगढ और हिरनकी, जबकि दिनांक 15.7.2003 के पत्र में बोर्ड ने बताया कि अब 20 गांवों के नक्शे उपलब्ध नहीं है। जैसे कि प्राथमिक प्रतिवेदन में बताया गया था, जल बोर्ड संबंधित विभागों - जैसे राजस्व विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग आदि से पूरा विवरण एकत्रित करें।

विभाग समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की जांच के लिये वरिष्ठ अधिकारी तैनात करें और मासिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

II द्वितीय प्रतिवेदन में समिति की सिफारिशें :

17 जनवरी, 2003 को सम्पन्न अपनी बैठक में समिति ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में परिवर्तनों की आवश्यकता पर विचार करने का निर्णय लिया था। चूंकि वर्तमान में भूमि से संबंधित मामला आरक्षित विषय है और दिल्ली विधान सभा की परिधि से बाहर है, समिति का विचार था कि इस अधिनियम में संशोधन से संबंधित सिफारिशों को भारत सरकार को भेज दिया जाये।

1. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा-81 में संशोधन : अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन के उद्देश्यों से अतिरिक्त, जिसमें मत्स्यपालन और मुर्गी पालन सम्मिलित है; किसी अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करता है तो भूमिधर अथवा आसामी को भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा।

समिति का यह मत था कि राजस्व विभाग के कर्मचारी व अनैतिक लोग इस धारा का दुरुपयोग करते हैं। जबकि एक तरफ शरीफ और गरीब किसानों को राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा डराया व धमकाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ठीक ठाक स्थिति में हैं, इस धारा की खामियों का फायदा उठाते हैं और कृषि भूमि पर विशाल भवन बना रहे हैं। सदस्यों ने दिनांक 08/07/2003 को सम्पन्न अपने बैठक में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया।

बैठक में उपस्थित मण्डलायुक्त इस बात से सहमत हुए कि धारा 81 के प्रावधानों की समीक्षा आवश्यक है, परन्तु उन्होंने सुझाव दिया कि पूरी धारा को हटाना युक्तिसंगत नहीं होगा, चूंकि यह एक अकेला प्रावधान नहीं है बल्कि यह अन्य धाराओं जैसे - धारा 23, 33, 46, 50, 57, 86 एवं 87 - को प्रभावित करता है। इसलिए समिति ने विचार प्रकट किया कि धारा 81 एवं अन्य संबंधित धाराओं को पारदर्शी एवं लोगों के हित हेतु और इसके दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से संशोधन करने की आवश्यकता है। विभाग कानूनी ज्ञाताओं से सलाह ले और इस धारा में आवश्यक संशोधन सुझाएं।

2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 33 में संशोधन - अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि यदि भूमि के स्थानांतरण (विद्यमान/दामन) में अस्वाभाविक रूप से भूमिधर को अतिरिक्त एकड़ से कम भूमि रह जाती है, तो वह ऐसा स्थानांतरण नहीं कर सकता।

समिति का विचार था कि वर्तमान में आठ एकड़ भूमि की सीमा उचित नहीं है। भूमिधर के पास उपलब्ध भूमि सीमित है विशेषकर परिवार में सम्पत्ति के बटवारे के पश्चात्।

मण्डलायुक्त ने समिति के विचारों से सहमति व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आठ एकड़ भूमि के प्रावधान को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भूमिधारी 16 प्रतिशत के हिसाब से कम हो रहा है और इसलिए इस प्रावधान को हटा देना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि इस प्रावधान को हटा दिया जाए।

3. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 85 में संशोधन - मण्डलायुक्त ने विचार व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 85 में भी संशोधन की आवश्यकता है जिसमें 3 वर्षों की समय सीमा है (प्रविष्टि संख्या 19 (iii) की अनुसूची - 1 में निर्धारित) जिसके अन्तर्गत धारा 84 के अधीन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो बिना मालिकाना अधिकार के जमीन पर कब्जा करता है, मामला दायर किया जा सकता है। इस प्रकार धारा 85 में प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कब्जाधारी को बेदखल नहीं किया जाता है तो उसको भूमिधर अथवा आसामी घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखल करने की पूरी प्रक्रिया तीन वर्ष की समयावधि में पूरी कर दी जानी चाहिए; जो कि व्यवहारिक नहीं है। तथापि, इससे राजस्व कर्मचारियों के लिए दुरुपयोग करने का रास्ता खुला रहता है। मण्डलायुक्त का विचार था कि अन्य राज्यों की भाँति समय सीमा की अवधि को 30 वर्षों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

समिति मण्डलायुक्त के विचार से सहमत है और वर्तमान में 3 वर्षों से 30 वर्ष तक समय सीमा बढ़ाने हेतु अधिनियम की अनुसूची-1 में संशोधन करने की सिफारिश करती है।

4. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा-3(12)(i) में सुधार की परिभाषा में संशोधन : दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा - 3(12)(i) में "सुधार" (Improvement) की परिभाषा इस तरह से दी गई है - "निवासस्थान जिसका निर्माण काश्तकार धारक (tenure-holder) द्वारा अपने स्वयं के आवास के लिये किया गया हो अथवा मत्स्यपालन और मुर्गीपालन सहित कृषि, उद्यान अथवा पशुपालन के उद्देश्य से अन्य निर्माण।"

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की रक्षात्मक धारा-54 सी (Saving Clause) के अन्तर्गत छूट दी गई है कि आवासीय स्थल के अलावा ऐसे भवन की स्थापना जोकि कृषि कार्य के उद्देश्य में सहायक हो, उनमें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

समिति का विचार था कि "सुधार" की परिभाषा अस्पष्ट है और दुरुपयोग को रोकने के लिये इसको स्पष्टता से परिभाषित करने की आवश्यकता है। मण्डलायुक्त ने भी समिति के विचार से सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि गलतफहमी और दुरुपयोग को रोकने के लिये स्पष्ट रूप से मापदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिये और सुझाव दिया कि भूमि के कितने भाग पर निर्माण किया जा सकता है, उसका उल्लेख परिभाषा में किया जाना चाहिये। समिति सिफारिश करती है कि प्रति एकड़ पर 80 वर्गगज भूमि को सुधार के अन्तर्गत स्वीकार किया जाये और परिभाषा को उचित रूप से संशोधित किया जाये। इस परिभाषा को अन्य सभी संबंधित विधानों, भवन उप नियमों में तुरन्त लागू करने के लिये बाध्य किया जाये।

5. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 82 का संशोधन : दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा-82(2) में प्रावधान है कि भूमि के प्रयोग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर यदि भूमिधर अथवा आसामी कृषि भूमि की क्षति की मरम्मत तीन महीने के अंतर्गत नहीं कर देता तो उसे बेदखल किया जा सकता है। समिति का विचार था कि तीन महीने का समयावधि काफी नहीं है जिसके कारण आसामी अथवा भूमिधर को राजस्व कर्मचारियों के कारण परेशान और दुखी होना पड़ता है। मण्डलायुक्त तीन महीने की समयावधि को बढ़ाने पर सहमत हुए और सुझाव दिया कि इसे छः महीने के लिये बढ़ा दिया जाये, चूंकि समयावधि

कसल के चक्रानुसार भी निर्भर रहती है। समिति सिफारिश करती है कि धारा-82 (2) को संशोधित कर दिया जाये और शब्द "तीन महीने" के स्थान पर "छः महीने" प्रतिस्थापित किया जाये।

6. **लालडोरे का विस्तार :** लाल डोरा(गांवों का आवासीय भूमि क्षेत्र) पूर्व में 1908 में निर्धारित हुआ था। राजस्व कानूनों में आबादी के विस्तार के प्रावधान जटिल एवं समय व्यय करने वाले हैं। दिल्ली में आबादी के विस्तार के लिये कोई स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसकी प्रक्रिया चकबन्दी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। लाल डोरा बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से बढ़ रही आबादी को देखते हुए आवासीय भूमि की काफी कमी है और इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है।

मण्डलायुक्त समिति के विचार से सहमत हुए और सुझाव दिया कि आबादी के विस्तार की प्रक्रिया को चकबन्दी प्रक्रिया से अलग किया जाये। उनका विचार था कि धारा-81 में प्रावधान किया जाये कि संबंधित उपायुक्त को आबादी की सीमा को वर्तमान लाल डोरा से 1000 मीटर तक बढ़ाने के लिये अधिकृत किया जाये।

समिति ने मण्डलायुक्त के सुझाव से सहमति व्यक्त की और विचार व्यक्त किये कि स्वाभाविक रूप से बढ़ रही आबादी को देखते हुए क्षेत्रों में आवासीय प्रयोग को स्वीकृत करने के लिये राजस्व कानूनों में आवश्यक प्रावधान और संशोधन करने की आवश्यकता है। आगे जिस समय तक लालडोरा बढ़ाया जाता है, ऐसे आवासीय क्षेत्र, जो स्वाभाविक रूप से लालडोरा से बाहर बसे हैं, में सभी नागरिक सुविधाएं जैसे - बिजली, पानी, सफाई, सीवर, ड्रेनेज, सड़कें आदि का प्रावधान किया जाये, जैसे कि गामीण क्षेत्र में वर्तमान लालडोरा की सीमाओं में उपलब्ध कराई जा रही है।


7. **बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित क्षेत्रों में विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रयोग :** समिति का विचार है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि के दिशा-निर्देशों को उचित रूप से संशोधित किया जाये ताकि इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिये उनमें विधायक निधि का प्रयोग किया जा सके।

8. **खाली भूमि का निर्धारण :** काफी संख्या में इस तरह के मामले देखने में आये हैं कि भूमिहीन लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटित कर दी गई, लेकिन वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया। समिति के पास ऐसे लोगों से काफी संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें पट्टा तो दे दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं मिला। समिति सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की समस्त भूमि जो रिक्त पड़ी हुई है और जो मूल रूप से आवंटित कर दी गई है और जिसके लिए पट्टा दे दिया गया है, का निर्धारण किया जाए और छः महीने के अंदर आबंटि को उसका कब्जा दे दिया जाए। विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी मूल आबंटि कब्जा प्राप्त कर ले और उनमें से कोई भी न छुटे।

9. मण्डलायुक्त अनाधिकृत कब्जा से बचाने के उद्देश्य से रिक्त पड़ी गाम सभा की भूमि के चारो तरफ तथा नागरिक सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि पर चार दिवारी का निर्माण हेतु कदम उठाये।

दिल्ली,

25 जुलाई, 2003



मुकेश शर्मा, विधायक

सभापति